



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शनिवार, 03 जनवरी, 2015 ई0
पौष 13, 1936 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 340/XXXVI(3)/2015/77(1)/2014

देहरादून, 03 जनवरी, 2015

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित “उत्तराखण्ड रज्जुमार्ग विधेयक, 2014” पर दिनांक 30 दिसम्बर, 2014 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 02 वर्ष, 2015 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड रज्जुमार्ग अधिनियम, 2014

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 02 वर्ष 2015)

राज्य में रज्जुमार्ग के सन्निर्माण, संचालन और अनुरक्षण को प्राधिकृत करने, सहयोग करने और विनियमित करने के लिए

अधिनियम

उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा भारतीय गणतंत्र के पैंसठवें वर्ष में निम्नवत् रूप में अधिनियमित हो-

अध्याय-1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम,
विस्तार और
प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम 'उत्तराखण्ड रज्जुमार्ग अधिनियम', 2014 है।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में होगा।
- (3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

परिभाषाएँ

2. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ या विषय से अन्यथा अपेक्षित न हो-
 - (क) "लागू विधि" से भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा लागू और प्रभावी सभी विधियां अभिप्रेत हैं और इसमें उनके अधीन बनाये गये नियम, विनियम और अधिसूचनाएं तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जैसा प्रभावी किया जाय, किसी न्यायालय के निर्णय, अधिनिर्णय, निषेधाज्ञाएं, याचिका और आदेश सम्मिलित हैं;
 - (ख) "वाहक" से कोई ऐसा वाहन या पात्र अभिप्रेत है, जो किसी रज्जु से टंगा हुआ या लटका हो या उससे खींचा जाता हो और यात्रियों, पशुओं या माल के परिवहन के लिए या रज्जुमार्ग के संचालन से सम्बन्धित किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाता हो;
 - (ग) "मुख्य निरीक्षक" और "जिला निरीक्षक" से इस अधिनियम के अधीन क्रमशः राज्य के लिए नियुक्त मुख्य निरीक्षक और जिले के लिए नियुक्त जिला निरीक्षक अभिप्रेत है;
 - (घ) "कलेक्टर" से किसी जिले के राजस्व प्रशासन का मुख्य प्रभारी अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा अधिकारी भी सम्मिलित है, जो इस अधिनियम के अधीन कलेक्टर के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से नियुक्त किया गया हो;
 - (ङ) "संस्था" से संगत कानूनों के अधीन गठित कोई कंपनी, ट्रस्ट, सोसाईटी, फर्म और/अथवा निगमित निकाय अथवा कोई अन्य संगठन अभिप्रेत है;
 - (च) "सरकार" अथवा "राज्य सरकार" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;

- (छ) "अनुज्ञा" से इस अधिनियम के अधीन किसी रज्जुमार्ग के सन्निर्माण, संचालन और अनुरक्षण के लिए प्रदत्त कोई प्राधिकार अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व विद्यमान किसी रज्जुमार्ग के संचालन और अनुरक्षण की निरन्तरता के लिए प्रदत्त कोई प्राधिकार सहित ऐसा प्राधिकार सम्मिलित है जो ऐसे प्राधिकार की प्रतिस्थापना अथवा संशोधन अथवा विस्तार हेतु प्रदत्त हो;
- (ज) "व्यक्ति" से कोई नैसर्गिक व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (झ) "खंभा" से किसी खंभा, टकटकी, धानी, टेक, ठहराव अथवा किसी रज्जु को ढोने, लटकाने अथवा सहारे के लिए कोई युक्ति अभिप्रेत है;
- (ञ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (ट) "प्रायोजक" से निम्न अभिप्रेत है :-
 (एक) राज्य सरकार;
 (दो) राज्य सरकार का कोई अधिकरण अथवा विभाग;
 (तीन) कोई व्यक्ति अथवा संस्था जिसे लागू विधि के अनुसार राज्य सरकार द्वारा चयनित किया गया हो;
 (चार) कोई व्यक्ति अथवा संस्था जो स्वयं इस अधिनियम के लागू होने की तिथि को किसी विद्यमान रज्जु मार्ग का स्वामी हो एवं/अथवा उसके संचालन से सम्बन्धित हो, और जिसे धारा 10 अथवा धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञा प्रदान की गई हो अथवा जिसे किसी रज्जुमार्ग के सन्निर्माण, अनुरक्षण और संचालन के बारे में प्रायोजक को प्रदत्त अधिकार और अधिरोपित दायित्व प्राप्त हुए हों;
- (ठ) "लोक रज्जुमार्ग" से कोई रज्जुमार्ग जो यात्रियों, पशुओं अथवा सामान अथवा इनमें से किसी के सार्वजनिक परिवहन के लिए है, अभिप्रेत है;
- (ड) "पीपीपी" से लोक निजी सहभागिता अभिप्रेत है;
- (ढ) "दर" से यात्री, पशुओं अथवा सामग्री के परिवहन के लिए लिया जाने वाला कोई किराया, अधिभार अथवा कोई अन्य भुगतान अभिप्रेत है;
- (ण) "रज्जु" में कोई केबिल, तार, रेल अथवा मार्ग, चाहे लचीला अथवा सख्त हो, किसी वाहक को लटकाने या खींचने अथवा रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है, सम्मिलित है;
- (त) "रज्जुमार्ग" से यात्रियों, पशुओं या सामान के व्यक्तिगत अथवा सार्वजनिक परिवहन के लिए प्रयुक्त होने वाला रज्जुमार्ग अभिप्रेत है और इसमें चौकी, रज्जु, वाहक, स्टेशन, कार्यालय, भंडारागार, कार्यशाला, मशीन और जहाँ वाहक के पहिये पृथ्वी पर रेलों के उपर दौड़ते हैं, ऐसी रेल सहित रज्जुमार्ग के संदर्भ में प्रयुक्त होने वाले अन्य सभी कार्य तथा सम्बद्ध भूमि सम्मिलित हैं;

- (थ) "राज्य" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है; और
 (द) "उपक्रम" से प्रायोजक की ऐसी सभी स्थावर तथा जंगम सम्पत्ति अभिप्रेत है, जो रज्जुमार्ग के लिए उपयुक्त है और उसके प्रयोजन के लिए उसके द्वारा प्रयोग की जाती है।

अध्याय— दो

अनुज्ञा प्राधिकारी और उसका अधिष्ठान

अनुज्ञा प्राधिकारी 3. इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञा स्वीकृत करने की शक्ति के लिए प्राधिकारी (जिसे यहां आगे अनुज्ञा अधिकारी कहा गया है), निम्नलिखित सदस्यों से संरचित एक सशक्त समिति होगी—

(1)	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष
(2)	प्रमुख सचिव/सचिव, लो.नि.वि.	सदस्य
(3)	प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यटन	सदस्य
(4)	प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मंडल विकास निगम	सदस्य
(5)	प्रबन्ध निदेशक, कुमायूँ मंडल विकास निगम	सदस्य
(6)	सम्बन्धित जिलाधिकारी	सदस्य
(7)	प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
(8)	प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड ऊर्जा निगम	सदस्य
(9)	अधीक्षण अभियन्ता(विद्युत/यांत्रिक), लोक निर्माण विभाग	सदस्य
(10)	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अन्य विशेषज्ञ	सदस्य
(11)	मुख्य रज्जु मार्ग निरीक्षक	सदस्य सचिव

कतिपय निरीक्षकों, अधीनस्थ अधिकारियों की नियुक्ति तथा उनकी शक्तियाँ व कर्तव्य

4. (1) राज्य सरकार, रज्जुमार्ग के लिए ऐसे व्यक्ति को जिसे वह ठीक समझे, राज्य स्तर के लिए मुख्य निरीक्षक और रज्जुमार्ग के ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें वह ठीक समझे, स्थानीय स्तर पर अन्य निरीक्षक (जिसे यहां आगे "जिला निरीक्षक" कहा गया है), नियुक्त कर सकेगी और इस अधिनियम के अधीन उनके दायित्वों के निर्वहन हेतु प्रायोजक से अधिभार के रूप में जैसा विहित किया जाये, शुल्क नियत कर सकेगी।
- (2) मुख्य निरीक्षक और जिला निरीक्षक, ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों और दायित्वों का निर्वहन करेगा, जैसा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन विहित किया जाय। ऐसे निरीक्षक का यह दायित्व भी होगा कि वह रज्जुमार्ग का समय-समय पर और मुख्य निरीक्षक के सम्बन्ध में न्यूनतम वर्ष में एक बार और जिला निरीक्षक के सम्बन्ध में प्रत्येक छः माह में एक बार निरीक्षण करें और यह अवधारित करें कि रज्जुमार्ग, प्रयोग करने वाले व्यक्तियों तथा जन-सामान्य और इस अधिनियम के उपबंधों के संगत सम्यक सुरक्षा और सुविधा के साथ ठीक स्थिति में अनुरक्षित है, और कार्य कर रहा है।

- (3) मुख्य निरीक्षक और जिला निरीक्षक, इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत और अपेक्षित दायित्वों के निर्वहन के प्रयोजनों के लिए जैसा भारतीय दंड संहिता, 1860 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 45 वर्ष 1860) में परिभाषित किया गया है, लोक सेवक समझे जायेंगे।
- (4) प्रायोजक और उसके कर्मचारी तथा प्रतिनिधि मुख्य निरीक्षक और जिला निरीक्षक को इस अधिनियम द्वारा दिये गये दायित्वों का निर्वहन और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए समस्त समुचित सुविधाएं उपलब्ध करायेंगे।
- (5) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के क्रियान्वयन के लिए दायित्वों के निर्वहन और शक्तियों का प्रयोग करने हेतु विशेषज्ञ, परामर्शी, सलाहकार और अन्य अधिकारी जैसा वह आवश्यक समझे, नियुक्त कर सकेगी।

अध्याय— तीन प्रक्रिया और प्रारम्भिक जांच

रज्जुमार्ग के
अनाधिकृत
सन्निर्माण,
अनुरक्षण इत्यादि
का निषेध

5. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण के सिवाय राज्य में किसी अन्य प्रकार से रज्जुमार्ग का सन्निर्माण, प्रारम्भ, अनुरक्षण अथवा संचालन नहीं किया जायेगा।
- (2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति और/अथवा संस्था जिसे राज्य के किसी भाग में रज्जुमार्ग अथवा जिसे रज्जुमार्ग के संचालन की स्वीकृति इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व प्राप्त हुई है, चाहे वह जनता के लिए, निजी अथवा औद्योगिक प्रयोजन के लिए हो, उपधारा (3) के अनुसरण में इस सन्दर्भ में उसके द्वारा आवेदन किये जाने पर और ऐसी जांच के पश्चात् जैसा आवश्यक हो, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में, ऐसे रज्जुमार्ग के विकास/संचालन की निरंतरता के लिए, अनुज्ञा द्वारा, अधिकृत किया जा सकेगा।
- (3) उपधारा (2) के अधीन आवेदन इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर सम्बन्धित रज्जुमार्ग के सम्बन्ध में ऐसे प्रारूप पर और ऐसी रीति से तथा ऐसे तकनीकी और अन्य विवरणों के साथ जैसा विहित किया जायें, अनुज्ञा प्राधिकारी को प्रेषित किया जायेगा।
- (4) उपधारा (2) के अधीन अस्वीकृत किसी अनुज्ञा अथवा इस उपधारा के अधीन दिये गये कोई अन्य आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति अथवा संस्था आदेश की तारीख से 60 दिन के अवधि के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकेगा और वह ऐसे आदेश पारित कर सकेगा, जैसा वह आवश्यक समझे।

- (5) उपधारा (1) में उपबन्धित किसी बात का उपधारा (2) में संदर्भित रज्जुमार्ग के संचालन की निरन्तरता पर, उपधारा (3) के अधीन दिये गये आवेदन की अवधि के दौरान अथवा उस तिथि तक के लिए जब तक कि ऐसा आवेदन किये जाने पर संगत उपधारा के अधीन अनुज्ञा की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति सम्बन्धी आदेश अन्तिम नहीं हो जाता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- अनुसन्धान के लिए अनुमति हेतु आवेदन**
6. किसी इच्छुक प्रायोजक द्वारा प्रस्तावित रज्जुमार्ग के सम्बन्ध में आवश्यक प्रारम्भिक अनुसन्धान की अनुमति के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र ऐसे प्ररूप पर जैसा विहित किया जाये, अनुज्ञा प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा।
- आवेदन पत्र के विवरण**
7. धारा 6 के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले प्रत्येक आवेदन पत्र में प्रस्तावित रज्जुमार्ग से सम्बन्धित सभी सूचनाएं दी जायेंगी जिसमें निम्न सम्मिलित होंगे—
- (क) किसी रज्जुमार्ग के प्रयोजन के लिए उपयुक्त एवं प्रयोग की जाने वाली प्रायोजक की समस्त जंगम और स्थावर सम्पत्तियों तथा प्रस्तावित रज्जुमार्ग द्वारा अपनाये जाने वाले मार्ग का विवरण,
- (ख) सन्निर्माण और प्रबन्धन की रीति तथा ऐसे रज्जुमार्ग से समुदाय को होने वाले लाभों का विवरण,
- (ग) उसके सन्निर्माण में आने वाले मूल्य के आंकलन का विवरण,
- (घ) क्रियान्वयन और सम्भावित लाभ के आंकलन का विवरण,
- (ङ) अधिकतम प्रस्तावित दरों का विवरण, और
- (च) ऐसे नक्शे, योजना, सेक्शन, चित्रण, और अन्य सूचनाएं जैसी विहित की जाये तथा अन्य ऐसी सूचनाएं जिन्हें अनुज्ञा प्राधिकारी द्वारा रज्जुमार्ग की योजना को समझने के लिए अपेक्षा की जाय, का विवरण।
- प्रारम्भिक अनुसन्धान की स्वीकृति**
8. (1) अनुज्ञा प्राधिकारी अथवा जहां जंगम सम्पत्तियों इच्छुक प्रायोजक से सम्बन्धित न हो, वहां राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों तथा भू-अर्जन अधिनियम, 2013 के अध्याधीन जैसा ऐसे रज्जुमार्ग को बनाये जाने के लिए आवश्यक समझे, प्रायोजक को सर्वेक्षण की अनुमति प्रदान कर सकेगी।
- (2) उपधारा (1) के अधीन अनुमति प्रदान किये जाने से पूर्व अनुज्ञा प्राधिकारी अथवा राज्य सरकार जैसी स्थिति हो, प्रस्तावित प्रायोजक से ऐसे विस्तृत आंकलन, योजना, स्वीकृति और विशिष्टियों के विवरण की अपेक्षा कर सकेगा और प्रस्ताव के पूर्ण विचार के लिए ऐसी अग्रोत्तर सूचना, जैसा यह आवश्यक समझे, की भी अपेक्षा कर सकेगा।
- (3) प्रस्तावित प्रायोजक आवेदन पत्र की अस्वीकृति पर इस धारा के अधीन हुए किसी व्यय के लिए राज्य सरकार से किसी प्रतिपूर्ति के दावे के लिए पात्र नहीं होगा।

अध्याय— चार
रज्जु मार्ग का सन्निर्माण

सन्निर्माण हेतु
अधिकृत
प्रस्तावित अनुज्ञा
और ऐसी अनुज्ञा
के विवरण का
प्रकाशन

9. (1) अनुज्ञा प्राधिकारी प्रस्तावित इच्छुक प्रायोजक द्वारा दिये गये किसी आवेदन पत्र और धारा 8 की उपधारा (2) के अनुसरण में दिये गये विवरण पर सम्यक विचार करने के पश्चात्, न्यूनतम एक व्यापक प्रसारण वाले स्थानीय समाचार पत्र में तथा राज्य में व्यापक प्रसारण वाले एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में, प्रायोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से सन्निर्माण किए जाने के लिए प्रस्तावित अनुज्ञा का आलेख ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों पर जैसा अनुज्ञा प्राधिकारी उचित समझे, प्रकाशित किया जायेगा।
- (क) यात्रियों के लोक परिवहन के लिए,
(ख) यात्रियों और सामग्री के लोक परिवहन के लिए,
(ग) पशुओं और सामग्री के लोक परिवहन के लिए,
(घ) यात्रियों, पशुओं और सामग्री के लोक परिवहन के लिए,
(ङ) निजी अथवा औद्योगिक प्रयोजनों के लिए।
- (2) नोटिस, अनुज्ञा के आलेख सहित इस सूचना के साथ प्रकाशित किया जायेगा कि प्रस्तावित अनुज्ञा के सम्बन्ध में कोई व्यक्ति अनुज्ञा प्राधिकारी को 30 दिनों के भीतर कोई आपत्ति देता है तो उसे प्राप्त एवं विचारित किया जायेगा।
- (3) अनुज्ञा प्राधिकारी द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र के भीतर अथवा प्रश्नगत मार्ग के किसी सहज दृश्य भाग पर, अनुज्ञा की स्वीकृति प्रदान करने की मंशा सहित सार्वजनिक नोटिस, चस्पा कर दिया जाएगा और यथासम्भव रज्जुमार्ग के संरेखण के नीचे पड़ने वाली भूमि के प्रत्येक स्वामी अथवा कब्जाधारी को भी इसी प्रकार का नोटिस तामील किया जायेगा तथा प्रस्तावित अनुज्ञा के सम्बन्ध में उपधारा (2) में विहित अवधि के भीतर प्राप्त आपत्ति अथवा सुझाव पर विचार कर उस पर निर्णय लिया जायेगा।
- (4) प्रस्तावित अनुज्ञा के आलेख में प्रस्तावित रज्जुमार्ग के सम्बन्ध में ऐसे विवरण होंगे, जैसा विहित किया जाये।

अनुज्ञा की
स्वीकृति

10. (1) धारा 9 की उपधारा (2) में निर्धारित अवधि की समाप्ति के पूर्व आलेख के सम्बन्ध में की गई आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार करने के पश्चात् यदि अनुज्ञा प्राधिकारी की राय में संशोधन के साथ अथवा बिना संशोधन, किन्हीं निर्बन्धनों अथवा शर्तों के अधीन, आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य है, तो वह तदनुसार अनुज्ञा प्रदान कर सकेगा।
- (2) उपधारा (1) के अधीन स्वीकृत किसी रज्जु मार्ग के सन्निर्माण हेतु प्रत्येक अनुज्ञा ऐसे प्रारूप पर जैसा विहित किया जाये, राज्य सरकार की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।

धारा 10 के अधीन अनुज्ञा द्वारा दी गई शक्तियों की समाप्ति

11. यदि धारा 10 के अधीन प्रदत्त अनुज्ञा द्वारा अधिकृत प्रायोजक द्वारा अनुज्ञा में विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसे रज्जुमार्ग का सन्निर्माण, अनुज्ञा प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रगति की समय-सारिणी के अनुरूप नहीं किया जाता है तो ऐसी अनुज्ञा द्वारा प्रायोजक को दी गई शक्तियां, यदि अनुज्ञा प्राधिकारी की ओर से प्रायोजक को विनिर्दिष्ट समय को विस्तारित करने के आवेदन पर सहमति प्रदान नहीं की जाती, समाप्त हो जायेगी;

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन दिये गये आवेदन पत्र को यदि अनुज्ञा प्राधिकारी खारिज कर देता है तो वह इस संदर्भ में, लिखित रूप में कारण अभिलिखित करते हुए, आदेश जारी करेगा।

अनुज्ञा का प्रत्याहरण और अग्रत्तर अनुज्ञा की स्वीकृति

12. (1) अनुज्ञा प्राधिकारी, प्रायोजक के आवेदन पर, आदेश द्वारा, अनुज्ञा का प्रत्याहरण, संशोधन अथवा विस्तारण अग्रत्तर अनुज्ञा द्वारा कर सकेगा।
 (2) उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के संशोधन अथवा विस्तारण के लिए अनुज्ञा हेतु आवेदन की उसी रीति और उन्हीं शर्तों के अधीन आवेदन किया जायेगा जैसा अनुज्ञा के लिए किया जाता है।
 (3) यदि अनुज्ञा प्राधिकारी किसी आवेदन पत्र को स्वीकार करता है तो आदेश द्वारा अनुज्ञा का प्रत्याहरण करेगा अथवा, जैसी स्थिति हो, अग्रत्तर अनुज्ञा की स्वीकृति उसी रीति से प्रदान करता है तो ऐसी स्थिति में उक्त आवेदन पत्र में आवेदित अधिकार, शक्तियां और प्राधिकारिता में वृद्धि, संशोधन अथवा प्रतिबंधन प्रायोजक की लिखित सहमति के बिना नहीं किया जायेगा।

अध्याय-पांच

रज्जुमार्ग का निरीक्षण

प्रारम्भ किये जाने के पूर्व रज्जुमार्ग का निरीक्षण

13. (1) किसी रज्जुमार्ग को किसी प्रकार के यातायात के लिए तब तक प्रारम्भ नहीं किया जायेगा, जब तक कि इसे इस प्रयोजन से प्रारम्भ किये जाने की अनुमति अनुज्ञा प्राधिकारी द्वारा न दे दिया जाये। इस धारा के अधीन अनुज्ञा प्राधिकारी द्वारा अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक मुख्य निरीक्षक अनुज्ञा प्राधिकारी को लिखित में रिपोर्ट प्रस्तुत न कर दे कि—
- (क) रज्जुमार्ग और उसके उपकरणों का सावधानीपूर्वक निरीक्षण कर लिया गया है;
- (ख) चलने वाले अथवा नियत आयाम और अन्य शर्तें जैसा विहित किया जाये, का अनुपालन कर लिया गया है;
- (ग) रज्जुमार्ग प्रस्तावित यातायात हेतु पर्याप्त रूप से सुसज्जित है;
- (घ) अनुज्ञा की शर्तों और प्रतिबंधों का पालन कर लिया गया है;
- (ङ) रज्जुमार्ग के संचालन द्वारा जनित प्रदूषण अथवा सम्भावित प्रदूषण, की रोकथाम और नियंत्रण के लिए उसकी राय में पर्याप्त व्यवस्थाएं कर ली गई हैं; और

- (च) उसकी राय में यातायात के लिए रज्जुमार्ग सही है और उसका प्रयोग करने वालों, उसके कर्मचारियों अथवा सामान्य जनता के प्रयोग करने में किसी प्रकार का खतरा नहीं है।
- (2) उपधारा (1) के उपबन्ध, रज्जुमार्ग के अतिरिक्त अनुभागों को प्रारम्भ किये जाने हेतु, कोई परिवर्द्धन व पुनः निर्माण जिससे संरचनात्मक स्वरूप पर कोई प्रभाव पड़ता हो अथवा ऐसे कार्य जिन पर उपधारा (1) के उपबन्ध लागू होते हों, पर भी लागू होंगे। धारा 5 की उपधारा (2) में संदर्भित रज्जुमार्ग की निरंतरता के सम्बन्ध में भी उक्त उपबन्ध लागू होंगे।

अध्याय—४:

लोक रज्जुमार्ग का सन्निर्माण और अनुरक्षण

जिला स्तरीय
समिति का गठन

14. निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर एक जिला स्तरीय समिति का गठन किया जायेगा—

(क)	जिला अधिकारी	अध्यक्ष
(ख)	पुलिस अधीक्षक	सदस्य
(ग)	प्रभागीय वनाधिकारी (सम्बन्धित वन प्रभाग का)	सदस्य
(घ)	उप जिलाधिकारी (सम्बन्धित क्षेत्र का)	सदस्य
(ङ.)	जिला रज्जुमार्ग निरीक्षक	सचिव सदस्य
(च)	अन्य कोई सदस्य जिसे जिलाधिकारी आमंत्रित करें।	सदस्य

जिला स्तरीय
समिति के कृत्य

15. (1) राज्य सरकार अथवा उसके किसी विभाग अथवा अभिकरण अथवा किसी संस्था/व्यक्ति जिसे राज्य सरकार द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी रज्जुमार्ग की परियोजना के क्रियान्वयन हेतु चयनित किया गया हो, द्वारा क्रियान्वित की जा रही रज्जुमार्ग परियोजना के संदर्भ में अथवा यदि कोई रज्जुमार्ग परियोजना निजी लोक सहभागिता के आधार पर क्रियान्वित की जानी हो तो समिति निम्नलिखित कृत्यों अथवा ऐसे कार्यों का निर्वहन करेगी, जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाये—

- (क) वन भूमि के हस्तांतरण और अनापत्ति प्रक्रिया में सहयोग,
- (ख) निजी भूमि अधिग्रहण/भूमि खरीद और भूमि पंजीकरण में सहायता,
- (ग) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कराने में सहायता,
- (घ) रज्जु मार्ग परियोजना को विद्युत और जलापूर्ति प्राप्त कराने में सहायता,
- (ङ.) संलग्न मार्ग में पड़ने वाले ट्रांसमिशन लाईन, विद्युत पोल, पाईप लाईन इत्यादि के दिशा परिवर्तन में सहायता,
- (च) परियोजना में निहित पुनर्स्थापन और पुनर्वास से सम्बन्धित पहलुओं में यदि कोई हो, सहायता प्रदान करना,
- (छ) प्रायोजक को जिला स्तर पर अनापत्ति प्रदान करने के लिए एकल खिड़की के रूप में कार्य करना, और

(ज) अनुज्ञा की शर्तों के आलोक में परियोजना की प्रगति की समीक्षा करना तथा राज्य सरकार को द्वि-मासिक आधार पर प्रगति के सम्बन्ध में आख्या देना।

कार्य निष्पादित करने के लिए प्रायोजक की अधिकारिता

16. (1) इस अधिनियम तथा तदधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन तथा ऐसी जंगम सम्पत्ति जो किसी मामले में प्रायोजक की नहीं है, के संदर्भ में सार्वजनिक उपयोग अथवा कम्पनी के लिए भू अर्जन सम्बन्धी तत्समय लागू किसी कानून के अध्यधीन-

(क) ऐसा सर्वे जैसा आवश्यक समझे, कर सकेगा;

(ख) किसी रज्जु को जंगम सम्पत्ति के ऊपर, साथ अथवा आर-पार स्थापित और अनुरक्षित कर सकेगा;

(ग) किसी रज्जु को जंगम सम्पत्ति के ऊपर, साथ अथवा आर-पार प्रलम्बित और अनुरक्षित कर सकेगा;

(घ) पुल, कवर्ट, नालियां, बांध और सड़कें जैसा आवश्यक समझा जाये, बना सकेगा;

(ङ) ऐसी मशीन, कार्यालय, स्टेशन, अनुरक्षण घर और अन्य भवन का कार्य और सुविधाएं, जैसा आवश्यक समझा जाये, का परिनिर्माण और सन्निर्माण कर सकेगा;

(च) सावजनिक रज्जुमार्ग के सन्निर्माण, अनुरक्षण, परिवर्द्धन, मरम्मत और प्रयोग के लिए आवश्यक सभी कृत्य कर सकेगा।

(2) अनुज्ञा प्राधिकारी के द्वारा आपत्तियों अथवा सुझावों, यदि कोई हो, पर विचार करने और धारा 10 के अधीन अनुज्ञा की स्वीकृति प्रदान करने के अनुक्रम में प्रायोजक, प्रभावित सम्पत्ति के स्वामी अथवा अध्यासी की आपत्तियां होते हुए भी, खण्ड (ख) और खण्ड (ग) के अधीन कोई कार्रवाई कर सकेगा।

(3) कलक्टर, प्रभावित सम्पत्ति के मालिक को प्रायोजक द्वारा भुगतान हेतु क्षतिपूर्ति अथवा वार्षिक किराया अथवा दोनों की ऐसी धनराशि, जो उसकी राय में भुगतान की जानी चाहिये, निर्धारित करेगा अथवा जंगम सम्पत्ति के मामले में उसके स्वामी या अध्यासी या उस पर कोई हितबद्ध व्यक्ति और प्रत्येक को भुगतान की जाने वाली राशि का निर्धारण करेगा।

(4) इस प्रकार किए जाने वाले आदेश द्वारा क्षतिपूर्ति की ऐसी धनराशि अथवा प्रथम वार्षिक किराया भुगतान किये जाने के लिए तारीख भी नियत किया जायेगा।

रज्जुमार्ग से संलग्न जंगम सम्पत्ति में अस्थायी प्रवेश

17. (1) प्रायोजक इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन किसी भी समय लोक रज्जुमार्ग के परीक्षण अथवा मरम्मत के प्रयोजन के लिए अथवा किसी दुर्घटना को रोकने के लिए रज्जुमार्ग से संलग्न किसी जंगम सम्पत्ति में प्रवेश कर सकेगा और ऐसे प्रयोजनों के लिए ऐसे सभी कार्य कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे।

- (2) उपधारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके प्रायोजक अथवा उसके द्वारा सम्यक रूप से, जैसी स्थिति हो, प्राधिकृत कर्मचारी अथवा प्रतिनिधि, यथासंभव न्यूनतम क्षति कारित करेगा तथा उसके द्वारा ऐसी क्षति के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जायेगा, और ऐसी क्षतिपूर्ति की धनराशि के सम्बन्ध में अथवा जिसे यह धनराशि भुगतान की जानी है, के सम्बन्ध में कोई विवाद होने की दशा में मामला निर्णय हेतु कलक्टर को संदर्भित किया जायेगा।

बाधाओं का निस्तारण

18. (1) जब कोई ढांचा लोक रज्जुमार्ग के निकट खड़ा अथवा पड़ा हो अथवा धारा 10 के अधीन दी गयी अनुज्ञा के उपरान्त, कोई वस्तु रज्जुमार्ग के निकट स्थापित अथवा रखी गई हो और वह ऐसे रज्जुमार्ग के संनिर्माण, अनुरक्षण अथवा प्रयोग में कठिनाई अथवा बाधा उत्पन्न कर रहा हो अथवा उससे कठिनाई या बाधा उत्पन्न होने की आशंका हो, तो कलक्टर, प्रायोजक के आवेदन पर, प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए ढांचे अथवा वस्तु को हटवायेगा अथवा अन्यथा जैसा वह ठीक समझे, व्यवस्था करेगा।
- (2) उपधारा(1) के अधीन आवेदन पत्र के निस्तारण के समय कलक्टर हितबद्ध व्यक्ति को ऐसी क्षतिपूर्ति दिला सकेगा जैसा वह ठीक समझे और कलक्टर ऐसी धनराशि को प्रायोजक से भू-राजस्व के अवशेष के रूप में वसूल कर सकेगा।

अध्याय—सात

रज्जुमार्ग की कार्य प्रणाली

प्रायोजक दरें निर्धारित कर सकेगा

19. प्रायोजक को, किसी लोक रज्जुमार्ग के संचालन के प्रयोजन से और अनुज्ञा प्राधिकारी द्वारा विहित ऐसी अधिकतम दरों के अध्यधीन, यात्रियों, पशुओं अथवा सामग्री को रज्जुमार्ग से परिवहन करने के लिए, समय-समय पर शुल्क को नियत कर सकेगा।

प्रायोजक का बिना किसी भेद-भाव के रज्जुमार्ग संचालन करने का दायित्व

20. कोई प्रायोजक किसी व्यक्ति विशेष अथवा यातायात की किसी श्रेणी के पक्ष में अनुचित व अदेय प्राथमिकता अथवा लाभ नहीं देगा अथवा किसी व्यक्ति विशेष या यातायात की किसी श्रेणी को अदेयता अथवा अलाभ की स्थिति में नहीं डालेगा।

दुर्घटना की रिपोर्ट

21. किसी रज्जुमार्ग के संचालन के दौरान हुई किसी दुर्घटना में प्रायोजक बिना किसी विलम्ब के दुर्घटना की सूचना—

(एक) राज्य सरकार को,

(दो) अनुज्ञा प्राधिकारी और जिला रज्जुमार्ग निरीक्षक को,

(तीन) जिले के कलक्टर को,

(चार) जहां दुर्घटना घटित हुई हो, से सम्बन्धित स्थानीय सीमा के भीतर के पुलिस स्टेशन को देगा।

अथवा इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों को भी सूचित करेगा। यदि दुर्घटना में मानवीय क्षति हुई हो अथवा किसी मानव को गम्भीर शारीरिक चोट आई हो तो उसकी सूचना निकटतम चिकित्सालय को भी भेजी जायेगी।

कोई त्रुटि नहीं
के सिद्धांत पर
क्षतिपूर्ति के
भुगतान का
दायित्व

21. (1) रज्जुमार्ग का प्रयोग करने में हुई किसी दुर्घटना के फलस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु अथवा स्थाई रूप से निःशक्त होने पर अथवा पशु अथवा सम्पत्ति की क्षति पर रज्जुमार्ग के प्रायोजक अथवा संयुक्त प्रायोजक संयुक्त रूप से अथवा पृथक-पृथक रूप से किसी व्यक्ति की ऐसी मृत्यु अथवा निःशक्तता अथवा पशु अथवा सम्पत्ति की क्षति के लिए क्षतिपूर्ति भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
- (2) उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति की मृत्यु अथवा स्थाई निःशक्तता अथवा लघु चोट के मामले में अथवा पशुओं की क्षति के मामले में अथवा सम्पत्ति की क्षति या नुकसान होने पर दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की धनराशि ऐसी होगी जैसी विहित की जाये।
- (3) उपधारा (1) के अधीन क्षतिपूर्ति के लिए, कोई दावा, न तो इस आधार पर कि किसी व्यक्ति अथवा पशुधन की स्वयं की त्रुटि के फलस्वरूप जिसमें वह मृत्यु अथवा स्थाई रूप से निःशक्त हो गया हो, के सम्बन्ध में, खारिज किया जायेगा और न तो क्षतिपूर्ति की मात्रा को इस आधार पर कम किया जायेगा कि ऐसी मृत्यु अथवा स्थाई रूप से निःशक्तता, में उस व्यक्ति अथवा पशुधन की कितनी जिम्मेदारी थी।
- (4) इस धारा के अधीन क्षतिपूर्ति के दावे का अधिकार किसी व्यक्ति की मृत्यु अथवा स्थाई निःशक्तता अथवा पशु की क्षति के सम्बन्ध में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन क्षतिपूर्ति के दावे के सम्बन्ध में दिये गये अधिकारों के अतिरिक्त होंगे,

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन भुगतान किये जाने वाली क्षतिपूर्ति की धनराशि में किसी व्यक्ति की मृत्यु अथवा शारीरिक क्षति के लिए किसी अन्य विधि के अधीन भुगतान की जाने वाली क्षतिपूर्ति की धनराशि घटा दी जायेगी।

रज्जुमार्ग को
बन्द करने और
पुनः खोलने की
शक्ति

22. (1) यदि किसी यातायात के लिए खुले रज्जुमार्ग के निरीक्षण के पश्चात्, जिला निरीक्षक की राय में, रज्जुमार्ग अथवा उसके किसी विशिष्ट भाग को किसी खतरे के बिना, सार्वजनिक उपयोग में लाया नहीं जा सकता अथवा वह यातायात के किसी विशिष्ट श्रेणी के परिवहन करने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो जिला निरीक्षक अपनी राय, आधार सहित अनुज्ञा प्राधिकारी को दे सकता है और अनुज्ञा प्राधिकारी, अग्रत्तर जांच, जैसा वह ठीक समझे, के पश्चात् यह आदेश दे सकता है कि रज्जुमार्ग अथवा उसके विनिर्दिष्ट कोई भाग को समस्त यातायात के लिए अथवा यातायात की किसी श्रेणी के लिए बन्द कर दिया जाय;

परन्तु यह कि, किसी अत्यन्त आवश्यक स्थिति में, जिला निरीक्षक रज्जुमार्ग अथवा उसके किसी भाग को जैसा आवश्यक समझे, अनुज्ञा प्राधिकारी के आदेश मिलने के दौरान, निलम्बित कर सकेगा। जिला निरीक्षक इसके साथ ही अनुज्ञा प्राधिकारी के लिए अपने ऐसे आदेश सम्बन्धी रिपोर्ट तैयार करेगा, जो उस पर सात दिवस की अवधि के भीतर आवश्यक आदेश देगा।

- (2) जब उपधारा (1) के अधीन किसी रज्जुमार्ग या उसके किसी भाग को किसी यातायात के लिए बन्द कर दिया गया हो तो रज्जुमार्ग को तब तक नहीं खोला जायेगा जब तक कि इसका निरीक्षण नहीं कर लिया जाता है और इसके खोलने की अनुमति विहित रीति से प्राप्त नहीं कर ली जाती है।

अध्याय—आठ

रज्जुमार्ग का बन्द किया जाना

रज्जुमार्ग के बन्द हो जाने पर प्रायोजक की शक्तियों का समाप्त हो जाना

23. यदि किसी रज्जुमार्ग के खोलने के पश्चात् किसी समय पर यह सिद्ध हो जाता है कि प्रायोजक द्वारा ऐसे रज्जुमार्ग अथवा उसके किसी भाग को बिना किसी पर्याप्त कारण के बन्द कर दिया है और अनुज्ञा प्राधिकारी की राय में ऐसा बन्द किया जाना उचित नहीं है तो अनुज्ञा प्राधिकारी, यदि वह ठीक समझे, तो प्रायोजक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए यह घोषणा कर सकेगा कि प्रायोजक की शक्तियाँ ऐसे रज्जुमार्ग अथवा ऐसे किसी भाग के सम्बन्ध में ऐसी तारीख से जिसे वह अवधारित करें, समाप्त हो जायेंगी।

टिप्पणी :- किसी रज्जुमार्ग के धारा 10 के अधीन स्वीकृत अनुज्ञा में अवधारित अवधि के लिए अथवा यदि अवधि निर्धारित नहीं की गई है, तो तीन माह के लिए संचालित न करने की दशा में रज्जुमार्ग बन्द समझा जायेगा।

किसी रज्जुमार्ग के प्रायोजक की शक्तियों की समाप्ति को हटाये जाने की अनुज्ञा प्राधिकारी की शक्तियाँ

24. (1) किसी रज्जुमार्ग अथवा उसके किसी भाग के सम्बन्ध में धारा 23 के अधीन अनुज्ञा प्राधिकारी द्वारा की गई कोई घोषणा किए जाने की स्थिति में अनुज्ञा प्राधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में नियुक्त किये गये किसी अधिकारी द्वारा उक्त आदेश द्वारा नियत तिथि से दो माह की समाप्ति पर ऐसे रज्जुमार्ग अथवा उसके किसी भाग को, जैसी स्थिति हो, हटाया जा सकेगा और प्रायोजक इस प्रकार नियुक्त अधिकारी को रज्जुमार्ग हटाने का ऐसा व्यय जो उस अधिकारी के द्वारा स्वयं व्यय करना अधिप्रमाणित किया गया हो, का भुगतान करेगा।

- (2) इस प्रकार अधिप्रमाणित व्यय की गई धनराशि के अधिप्रमाणन की प्रति अथवा उसकी प्रति उसे उपलब्ध कराने के एक माह के भीतर भुगतान करने से यदि कोई प्रायोजक असफल रहता है तो ऐसा अधिकारी प्रायोजक को सम्यक् सूचना देते हुए, किन्तु कोई अन्य अनुतोष की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जिससे उक्त धनराशि की वसूली के लिए आवश्यक है, लोक नीलामी द्वारा अथवा निजी बिक्री द्वारा रज्जुमार्ग अथवा उसके किसी भाग की

सामग्री को विक्रय अथवा निस्तारण कर सकेगा। विक्रय की प्रक्रिया में से उक्तवत् अवधारित मूल्य की धनराशि को उसके द्वारा भुगतान और प्रतिपूर्ति के पश्चात् विक्रय का मूल्य प्रायोजक को ऐसी प्रक्रिया के फलस्वरूप भुगतान कर दी जायेगी।

अध्याय-नौ रज्जुमार्गों का क्रय

राज्य सरकार और उसके विभागों तथा अभिकरणों की रज्जुमार्गों को क्रय करने की शक्ति

25. (1) जहां प्रायोजक राज्य सरकार है वहां राज्य सरकार किसी भी समय उपक्रम अथवा उसके किसी भाग को निम्न को अन्तरित कर सकेगी:

- (क) उसके विभागों तथा अभिकरणों को ऐसे विभागों अथवा अभिकरणों की सहमति से निर्धारित ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के आधार पर; अथवा
- (ख) राज्य सरकार और अन्तरिती के मध्य हुए आपसी सहमति से निर्धारित ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन लागू विधि के अनुसार चयनित किसी अन्य व्यक्ति को।

(2) जहां प्रायोजक राज्य सरकार अथवा उसके अभिकरण अथवा विभाग नहीं है वहाँ राज्य सरकार स्वविवेक से:-

- (क) अनुज्ञा में इस सम्बन्ध में विहित समय के अन्दर तथा ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के आधार पर, अथवा
- (ख) धारा 23 के अधीन किसी अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् दो माह के भीतर अथवा धारा 27 के अधीन किसी अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् छः माह के भीतर।

प्रायोजक को रज्जु मार्ग अथवा उसके किसी भाग का विक्रय राज्य सरकार को अथवा उसके किसी अभिकरण अथवा विभाग को किए जाने हेतु लिखित सूचना दे सकेगा और उसके पश्चात् प्रायोजक अनुज्ञा में विहित शर्तों पर अथवा यदि अनुज्ञा में शर्त विहित नहीं हैं तो ऐसी शर्तें जैसा इस सम्बन्ध में विहित किया जाये, पर विक्रय कर सकेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन प्रायोजक को राज्य सरकार के किसी विभाग अथवा अभिकरण को विक्रय हेतु अधियाचन तब तक नहीं भेजा जायेगा जब तक कि सम्बन्धित विभाग अथवा अभिकरण द्वारा उसे अनुमोदित नहीं कर दिया जाता है।

(4) जब कोई बिक्री इस धारा के अधीन कर दी गई हो तो विक्रय किये गये उपक्रम अथवा उसके किसी भाग के सम्बन्ध में प्रायोजक के सभी अधिकार, शक्तियाँ और अधिकारिता अथवा जहाँ धारा 23 अथवा धारा 27 के अधीन कोई अधिसूचना प्रकाशित की गयी हो, वहाँ ऐसे रज्जुमार्ग और उसके किसी भाग के सम्बन्ध में अधिसूचना के प्रकाशन से पूर्ववर्ती प्रायोजक के सभी अधिकार, शक्तियाँ और प्राधिकारिता ऐसे उपक्रम और उसके किसी भाग को क्रय करने वाले प्राधिकारी को अन्तरित और उसमें निहित हो जायेंगे तथा उस प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार प्रयुक्त होंगे मानों कि रज्जुमार्ग का निर्माण उसके ही द्वारा इस अधिनियम के अधीन स्वीकृत अनुज्ञा के तहत किया गया हो।

- (5) इस धारा के पूर्ववर्ती उपबन्धों के अधीन और उनके अनुसरण में दो या दो से अधिक सरकारी विभाग और अथवा अभिकरण किसी रज्जुमार्ग अथवा उसके किसी भाग को संयुक्त रूप से अथवा उनकी प्राधिकारिता अनुसार क्य कर सकेंगे।
- (6) जहां कोई क्य उपधारा (1) अथवा उपधारा (5) के अधीन किया गया हो :-
- (क) उपकम अथवा उपकम से संलग्न प्रायोजक की कोई उधार, बंधक एवं तत्समान अन्य दायित्वों से मुक्त होकर उपकम क्रेता में निहित हो जायेंगे;
- (ख) जैसा उपरोक्त में उपबन्धित है धारा 10 के अधीन स्वीकृत अनुज्ञा में सम्पूर्ण शक्ति बनी रहेगी और क्रेता ही प्रायोजक समझे जायेंगे;
- परन्तु यह कि जहाँ राज्य सरकार क्य करने का चयन करे, वहाँ धारा 10 के अधीन स्वीकृत अनुज्ञा, क्य के पश्चात्, जहाँ तक राज्य सरकार का सम्बन्ध है, अग्रत्तर प्रभावी नहीं रह जायेगा।
- (7) इस धारा की उपधारा (2) के खण्ड (क) अथवा (ख) के अधीन क्य सम्बन्धी चयन की लिखित में सूचना दो वर्ष से अन्यून अवधि में राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी, जैसी स्थिति हो, द्वारा प्रायोजक को तामील की जायेगी।
- (8) यहां इससे पूर्व उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी कोई विभाग/अभिकरण राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से क्य करने के विकल्प और उपकम के संचालन के लिए प्रायोजक के साथ उपधारा (2) के खण्ड (ख) में संदर्भित अथवा आदेश में उल्लिखित अग्रत्तर कमिक अवधि की समाप्ति तक के लिए ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों जो समझौते में उल्लिखित किए जाय, एक समझौता कर सकेगा।

क्य करने के विकल्प का प्रयोग न करने और सहमति से अनुज्ञा प्रतिसंहत होने की दशा में विक्रय करने की प्रायोजक की शक्ति

26. जहाँ धारा 24 में संदर्भित किसी अवधि की समाप्ति पर न तो राज्य सरकार द्वारा और न ही इसके किसी विभाग अथवा अभिकरण द्वारा उपकम का क्य नहीं किया जाता है और धारा 10 के अधीन स्वीकृत अनुज्ञा प्रायोजक के आवेदन पर अथवा प्रायोजक की सहमति से अनुज्ञा का प्रतिसंहरण कर दिया गया है तो प्रायोजक के पास सभी भूमि, भवन, सामग्री, वृक्ष और उपकम से सम्बन्धित सभी यंत्रों को ऐसी रीति से जैसा वह ठीक समझे, निस्तारित करने का विकल्प होगा।

राज्य सरकार द्वारा स्वाभित्वहरण

27. (1) यदि किसी रज्जुमार्ग के खोलने के पश्चात् किसी समय पर राज्य सरकार की राय में विद्यमान रज्जुमार्ग की राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में अथवा लोक हित में आवश्यकता हो तो राज्य सरकार प्रायोजक द्वारा बनाये गये किसी विवरण पर विचार करने तथा ऐसी जांच जिसे वह ठीक समझे, के पश्चात् इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा विहित ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन यह घोषणा कर सकती है कि ऐसे रज्जुमार्ग के सम्बन्ध में प्रायोजक की शक्तियां ऐसी घोषणा की तारीख से छः माह की समाप्ति पर समाप्त हो जायेंगी और उसके पश्चात् उक्त रज्जुमार्ग के सम्बन्ध में प्रायोजक की सभी शक्तियां, अधिकार और प्राधिकारिता, सभी उधारी, बकाया अथवा सभी बाध्यताओं से रहित होकर, अनन्य रूप से राज्य सरकार में निहित हो जायेंगी।

- (2) उपधारा (1) के अधीन किसी अधिसूचना के जारी किये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य सरकार प्रायोजक को उपक्रम और सभी भूमि, भवन, उपस्कर और परिसम्पत्तियाँ, अनापत्ति और अनुज्ञाएं तथा उससे सम्बन्धित अभिलेख आदि राज्य सरकार को अन्तरित करने हेतु उपधारा(1) के अधीन एक लिखित सूचना देगी,

परन्तु यह कि उपधारा (2) में दी गई सूचना में रज्जुमार्ग के हस्तान्तरण के लिए व्यवस्था नियत की जायेगी और प्रायोजक को राज्य सरकार द्वारा रज्जुमार्ग के अधिग्रहण के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान किया जायेगा, जो यदि भूमि प्रायोजक स्वयं की हो और भवन, वृक्ष और मशीन जो उपयुक्त हो तथा उपक्रम के प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाया जा रहा हो तथा राज्य सरकार द्वारा उसे अधिग्रहण कर लिया गया हो, के अवमूल्यन मूल्य के बराबर होगा और सभी मामलों के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान राज्य सरकार द्वारा धारा 27 की उपधारा (1) में उल्लिखित अवधि की समाप्ति के पूर्व ही कर दिया जायेगा।

अध्याय—दस

प्रायोजक का अयोग्य अथवा दिवालिया होना

प्रायोजक के अयोग्य और दिवालिया होने के मामले में कार्यवाहियाँ

28. (1) यदि रज्जुमार्ग के खोले जाने के पश्चात्, किसी समय, राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि रज्जुमार्ग का प्रायोजक दिवालिया हो गया है, जिससे वह रज्जुमार्ग का रखरखाव करने में अथवा जनसाधारण के फायदे के लिए उसको चलाने में असमर्थ हो गया है, तो वह प्रायोजक के किसी भी कथन के विचारोपरान्त एवं तत्सम्बन्धी जांच के उपरांत यह घोषित कर सकेगी कि प्रायोजक की शक्तियाँ, अधिसूचना के प्रकाशन से छः मास के अवसान के पश्चात्, समाप्त हो जायेंगी और उस अवधि के पश्चात् प्रायोजक की शक्तियाँ समाप्त हो जायेंगी।

- (2) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी, उस तारीख से छः मास के अवसान के पश्चात् किसी समय रज्जुमार्ग को उसी रीति से तथा उसे हटाने के व्यय के संदाय के लिए उन्हीं उपबन्धों के अधीन रहते हुए तथा व्यय की वसूली के लिए उसी उपचार के अधीन रहते हुए, जो सबकी बाबत धारा 24 के अधीन हटाने के मामलों में है, हटा सकेगा।

अध्याय—ग्यारह

अपील

29. (1) भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 के उपबन्धों के अधीन कलक्टर द्वारा दिये गये ऐसे आदेशों के सिवाय इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञा प्राधिकारी द्वारा किये गये समस्त आदेशों के विरुद्ध आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर पुनरावलोकन कराया जा सकेगा और ऐसा पुनरावलोकन अनुज्ञा प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जा सकेगा।

- (2) उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत किया गया प्रत्येक पुनरावलोकन, पुनरावलोकन की प्राप्ति की तारीख से साधारणतया तीन माह के भीतर अनुज्ञा प्राधिकारी के द्वारा निस्तारित किया जायेगा।
- (3) राज्य सरकार, अपने स्वयं के प्रस्ताव से, कलेक्टर द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 के अधीन पारित कोई अवार्ड के सिवाय अनुज्ञा प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन जारी किसी आदेश की वैधानिकता के बिन्दु पर सन्तुष्ट होने हेतु कार्यवाही से सम्बन्धित अभिलेख की मांग एवं परीक्षण कर सकेगी और यदि किसी मामले में राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि ऐसा आदेश उपान्तरित, संशोधित अथवा परिवर्द्धित अथवा समाप्त किया जा सकता है तो राज्य सरकार प्रभावित पक्ष को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देकर ऐसे आदेश पारित कर सकेगी जैसा वह ठीक समझे।

अध्याय—बारह

अनुपूरक उपबन्ध

- विवरणियाँ 30. किसी रज्जुमार्ग का प्रायोजक ऐसे समय अन्तराल पर और ऐसे प्ररूपों में जैसा विहित किया जाय, पूँजी, राजस्व व्यय प्राप्तियाँ और यातायात की विवरणियाँ, राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।
- सड़क, रेल, ट्रामवेज तथा जलमार्ग का संरक्षण 31. रज्जुमार्ग का प्रायोजक ऐसे रज्जुमार्ग के सन्निर्माण, मरम्मत, संचालन अथवा प्रबन्धन के दौरान किसी लोक सड़क, रेलवे, ट्रामवेज अथवा जलमार्ग, जहाँ आवश्यक हो, पर यातायात को अस्थाई बाधा के सिवाय किसी लोक सड़क, रेलवे, ट्रामवेज अथवा जलमार्ग को कोई स्थाई क्षति नहीं पहुँचायेगा अथवा व्यवधान अथवा हस्तक्षेप नहीं करेगा।
- राज्य सरकार द्वारा भूमि का अर्जन 32. (1) राज्य सरकार स्वतः इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 के उपबन्धों के अनुसरण में भूमि अधिग्रहण कर सकेगी और यदि वह ठीक समझे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी प्रायोजक के उसके स्वामित्व की, अर्जित अथवा नियंत्रित भूमि को अन्तरित कर सकेगी।
- (2) राज्य सरकार यदि वह ठीक समझे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के अध्याधीन किसी रज्जुमार्ग के सन्निर्माण, विस्तार, संचालन अथवा प्रबन्धन के प्रयोजन के लिए किसी इच्छुक प्रायोजक के आवेदन प्राप्त होने पर भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 के उपबन्धों के अधीन ऐसी भूमि को उसकी ओर से अर्जित कर सकेगी चाहे भूमि अर्जन अधिनियम में यथापरिभाषित उक्त प्रायोजक, कम्पनी हो अथवा न हो।
- क्षति की क्षतिपूर्ति और अधिक अधिभार की वापसी के लिए दावे की अधिसूचना 33. कोई व्यक्ति रज्जुमार्ग से पशुओं या सामान को ले जाने में की गयी अधिक वसूली, अथवा पशुओं को लाने या ले जाने में या सामान को इस प्रकार ले जाने में हुई क्षति, को वापस प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि वह या उसकी ओर से वापसी या क्षतिपूर्ति के लिए लिखित रूप में प्रायोजक को पशुओं या सामान को ले जाने हेतु प्राप्ति की तारीख से छः माह के भीतर दावा न दे दिया जाय।

अध्याय— तेरह

शक्तियों का प्रतिनिधायन और राज्य सरकार द्वारा नियमों का बनाया जाना

राज्य सरकार के
नियम बनाने की
शक्ति

34. (1) राज्य सरकार पूर्व प्रकाशन के पश्चात् इस अधिनियम के प्रयोजन के कियान्वयन के लिए नियम बना सकेगी।
- (2) विशेषतया और पूर्वोक्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों द्वारा निम्न विषयों को व्यवहृत किया जायेगा—
- (क) धारा 4 के अधीन नियुक्त मुख्य निरीक्षक और जिला निरीक्षक की शक्तियाँ और दायित्व;
- (ख) ऐसी दुर्घटनाएँ जिनकी सूचना अनुज्ञा प्राधिकारी तथा जिला निरीक्षक को दी जायेगी;
- (ग) रज्जुमार्ग में यात्रियों, पशुओं अथवा विभिन्न प्रकार की सामग्री के लिए अधिकतम दर, जिसे प्रायोजक द्वारा धारा 19 के अधीन नियत किया जाये;
- (घ) किसी दुर्घटना के घटित होने पर प्रायोजक, प्रायोजक के कर्मचारी, पुलिस अधिकारियों तथा मजिस्ट्रेट के दायित्व;
- (ङ.) मानक आयाम और विशिष्टिकरण जिसे रज्जुमार्ग पर लागू किया जाना हो;
- (च) इस अधिनियम के अधीन सूचना तामील करने की रीति;
- (छ) रज्जुमार्ग का सुरक्षित और प्रभावी संचालन;
- (ज) धारा 16 और धारा 17 द्वारा प्रायोजक को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करने की परिस्थितियाँ और रीति;
- (झ) किसी रज्जुमार्ग और उसके किसी भाग को धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन पुनः खोले जाने के लिए प्राप्त आवेदन पत्र के निस्तारण की प्रक्रिया और ऐसे रज्जुमार्ग को पुनः खोलने की शर्तें;
- (ञ) इस अधिनियम के अधीन अपील को योजित करने, सुनवाई और निस्तारण के सम्बन्ध में प्रक्रिया;
- (ट) इस अधिनियम के अधीन प्रदान की गई सेवाओं और अनुज्ञा, आवेदन, पूछताछ, निरीक्षण के सम्बन्ध में प्रायोजक तथा अन्य व्यक्ति पर अधिरोपित किये जाने वाला शुल्क;
- (ठ) इस अधिनियम के अधीन आवेदन पत्र देने, सुनवाई और निस्तारण की प्रक्रिया;
- (ड) प्राथमिक चिकित्सा और अन्य सुविधाओं के लिए उपबन्ध, तथा
- (ढ) इस अधिनियम के अधीन अन्य कोई मामले जिन्हे विहित किया जाना आवश्यक है और समझा जाये।
- (3) इस धारा के अधीन बनाये गये सभी नियम राजपत्र में प्रकाशित किये जायेंगे।
- (4) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र विधानसभा के समक्ष जब वह सत्र में न्यूनतम चौदह दिन की अवधि के लिए हो, चाहे यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक

आनुकमिक सत्रों में पूरी हो, प्रस्तुत किया जायेगा और यदि उस सत्र जिसमें इसे प्रस्तुत किया जाय के अवसान के पूर्व या पूर्वोक्त आनुकमिक सत्रों में विधानसभा उस नियम में कोई परिवर्तन करती है अथवा नियम न बनाने का निर्णय लेती है, तो वह ऐसे परिवर्तित रूप ही प्रभावी होगा अथवा लागू नहीं होगा, जैसे स्थिति हो। तथापि, ऐसे किसी संशोधन या निष्प्रभावी होने से नियम के अधीन पहले की गई किसी कार्यवाही की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

परियोजनाओं को
आवंटित करने
की राज्य
सरकार की
शक्ति

35. राज्य सरकार, यदि ऐसा ठीक समझे, राज्य में लोक निजी सहभागिता के आधार पर राज्य के भीतर किसी रज्जुमार्ग परियोजना के क्रियान्वयन और संचालन के लिए किसी संस्था/व्यक्ति के साथ अनुबन्ध निष्पादित कर सकेगी,

परन्तु यह कि ऐसे किसी संस्था और व्यक्ति के चयन के लिए प्रक्रिया लागू विधि के अनुसार की जायेगी।

अध्याय- चौदह

उपविधियां

उपविधियां बनाने
की शक्ति

36. (1) अनुज्ञा प्राधिकारी उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन इस अधिनियम के संगत -

(क) वाहक को चलाने अथवा धकेलने की गति को निगमित करने के लिए;

(ख) यह घोषित करने के लिए कि कौन सी वस्तुएँ खतरनाक अथवा आपराधिक समझी जायेंगी और ऐसी सामग्री के परिवहन को निगमित करने के लिए;

(ग) प्रत्येक वाहक में अधिकतम यात्रियों और पशुओं तथा ले जाने वाले सामान के अधिकतम भार को निगमित करने के लिए;

(घ) रज्जुमार्ग में भाप शक्ति के प्रयोग अथवा अन्य कोई यांत्रिक शक्ति अथवा विद्युत शक्ति के प्रयोग को विनियमित करने हेतु;

(ङ) प्रायोजक के कर्मचारियों के व्यवहार को निगमित करने के लिए;

(च) रज्जुमार्ग को संचालित और अनुरक्षित करने के लिए नियुक्त किये जाने वाले कर्मचारियों की योग्यताओं को निगमित करने के लिए;

(छ) ऐसी सामग्री के प्रतिनिधि अथवा स्वामी की ओर से किसी स्टेशन पर प्रायोजक द्वारा सामग्री रखे जाने अथवा रोके जाने के लिए शर्तों और प्रतिबन्धों को निगमित करने हेतु;

(ज) रज्जुमार्ग के यातायात और उसके प्रयोग, संचालन तथा प्रबन्धन को निगमित करने के लिए; उपविधियां बना सकेगा।

(2) ऐसे उपविधियां यह उपबंधित कर सकेगी कि कोई व्यक्ति जो इनमें से किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा, वह ऐसे अर्धदण्ड से जिसे किसी राशि तक बढ़ाया जा सकेगा परन्तु जो एक सौ रुपये से अधिक नहीं होगी, के लिए उत्तरदायी होगा और उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन बनायी गयी उपविधि के उल्लंघन के मामले में प्रायोजक के कर्मचारी जो कि इस हेतु उत्तरदायी हो, के वेतन से ऐसी धनराशि जो एक माह के वेतन से अधिक न हो, और जिसकी वसूली प्रायोजक द्वारा उसके वेतन से की जायेगी, जब्त कर ली जायेगी।

- (3) इस धारा के अधीन बनायी गयी कोई उपविधि तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि राज्य सरकार द्वारा इसे अनुमोदित और राजपत्र में प्रकाशित नहीं कर दिया जाता है;

परन्तु यह कि ऐसी कोई उपविधि तब तक अनुमोदित नहीं की जायेगी जब तक कि उसे प्रायोजक द्वारा ऐसी रीति से, जैसा विहित किया जाये, पूर्व में ही प्रकाशित न कर दिया जाये।

अध्याय—पन्द्रह

अपराध एवं दण्ड

अधिनियम के
अनुपालन में
प्रायोजक का
असफल होना

37. यदि कोई प्रायोजक —

(क) धारा 10 अथवा धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन किसी अनुज्ञा की शर्तों के अनुसरण के अलावा किसी रज्जुमार्ग का निर्माण करता है अथवा खोलता है, अथवा संचालन करता है अथवा अनुरक्षण करता है; अथवा

(ख) इस अधिनियम अथवा धारा 35 के अधीन बनाये गये किन्ही नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करता है; अथवा

(ग) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कलक्टर अथवा राज्य सरकार द्वारा दिये गये आदेश के अनुसार किसी क्षतिपूर्ति को समुचित समय के भीतर भुगतान करने में असफल रहता है; तो वह इस अधिनियम की अपेक्षानुसार विशिष्ट कृत्य के प्रवर्तन अथवा ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई अन्यथा अनुतोष प्राप्त करने की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वह अर्धदण्ड जो दस हजार रुपये तक का हो, का भागी होगा और यदि किसी मामले में किसी अपराध के लिए पुनः दोष सिद्ध किया जाता है तो वह ऐसे अर्धदण्ड से जो प्रथम दोष सिद्धि की तारीख से प्रत्येक दिवस के लिए एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, के लिए दण्ड का भागी होगा।

अविधिपूर्वक
प्रायोजक के
कर्मचारियों को
उनके कर्तव्यों के
निर्वहन में बाधा
पहुचाना

38. यदि कोई व्यक्ति बिना किसी विधिसम्मत कारण, जो कि उसे स्वयं सिद्ध करना होगा, के प्रायोजक के किसी अधिकारी अथवा किसी कर्मचारी को उसके दायित्वों के निर्वहन में बाधा अथवा रोक उत्पन्न करता है तो वह ऐसे अर्धदण्ड से जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा, का भागी होगा।

रज्जुमार्ग के
साथ अविधिपूर्वक
हस्तक्षेप करना

39. यदि कोई व्यक्ति बिना किसी विधिसम्मत कारण, जो कि उसे स्वयं सिद्ध करना होगा, के निम्नलिखित कार्य करता है; अर्थात्—

(क) किसी रज्जुमार्ग अथवा उससे जुड़े हुए कार्य में हस्तक्षेप के साथ उसके किसी भाग को हटाता है अथवा परिवर्तित करता है;

(ख) किसी रज्जुमार्ग के किसी वाहक के यातायात में अवरोध उत्पन्न करने के लिए कुछ करता है;

(ग) खण्ड (क) अथवा खण्ड (ख) में उल्लिखित किसी बात के लिए भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 45, वर्ष 1860) के अर्थान्वयन में दुष्प्रेरण का प्रयास करता है, तो किसी न्यायालय में किसी अन्य अनुतोष प्राप्ति के अवसर पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे अर्थदण्ड से जो चार सौ रुपये तक हो सकेगा, के लिए दण्डनीय होगा।

रज्जुमार्ग से यातायात करने वाले अथवा रज्जुमार्ग पर उपलब्ध व्यक्तियों को खतरा पहुँचाने हेतु किए गए कृत्य अथवा प्रयास के लिए दण्ड

40. (1) यदि कोई व्यक्ति धारा 39 के खण्ड (क), खण्ड (ख) अथवा खण्ड (ग) में उल्लिखित कोई कार्य करता है अथवा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 45, वर्ष 1860) के अर्थान्वयन में कोई कृत्य करता है, करने का प्रयास करता है अथवा दुष्प्रेरण करता है अथवा किसी रज्जुमार्ग के सम्बन्ध में कोई ऐसा कार्य जानबूझकर करता है जो कि यात्रा करने वाले अथवा रज्जुमार्ग पर उपलब्ध किसी व्यक्ति की सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकता है, तो वह कारावास के दण्ड के लिए, जो कि 14 वर्ष तक के लिए हो सकती है, दण्डनीय होगा।

(2) यदि कोई प्रायोजक किसी रज्जुमार्ग के सम्बन्ध में धारा 37 में उल्लिखित कोई ऐसा कार्य करता है अथवा कोई त्रुटि करता है जो कि यात्रा करने वाले अथवा रज्जुमार्ग पर उपलब्ध किसी व्यक्ति के लिए खतरनाक हो सकता है, तो वह न्यूनतम एक माह के कारावास के दण्ड के लिए, जिसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, के लिए दण्डनीय होगा।

कतिपय धाराओं के विरुद्ध अपराध के लिए गिरफ्तारी और उसकी प्रक्रिया

41. (1) यदि कोई व्यक्ति धारा 38 अथवा धारा 39 के अधीन कोई अपराध, जिससे रज्जुमार्ग के कार्य में बाधा उत्पन्न होती है, कारित करता है अथवा धारा 40 के अधीन कारावास सहित दण्डनीय कोई अपराध कारित करता है, तो ऐसा व्यक्ति बिना वारंट के प्रायोजक के किसी कर्मचारी द्वारा अथवा किसी पुलिस अधिकारी द्वारा अथवा किसी अन्य ऐसे व्यक्ति जिसे कर्मचारी अथवा पुलिस अधिकारी द्वारा अपनी सहायता हेतु बुलाया गया हो, गिरफ्तार किया जा सकता है।

(2) इस प्रकार गिरफ्तार किसी व्यक्ति को यथाशीघ्र अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष विचारण अथवा उसके द्वारा कारित अपराध के विचारण के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।

आज्ञा से,

जय देव सिंह,
प्रमुख सचिव।

No. 340/XXXVI(3)/2015/77(1)/2014

Dated Dehradun, January 03, 2015NOTIFICATIONMiscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'the Uttarakhand Roapways' Bill, 2014' (Adhiniyam Sankhya 02 of 2015).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 30 December, 2014.

THE UTTARAKHAND ROPEWAYS Act, 2014**(THE UTTARAKHAND Act No. 02 of 2015)**

An

Act

to authorize, facilitate and regulate the construction, operations and maintenance of ropeways in the State.

Be it enacted by the Legislative Assembly of Uttarakhand in the sixty-fifth year of the Republic of India as follows:

CHAPTER - I**PRELIMINARY**

- | | | |
|---|----------|--|
| Short title,
extend and
Commencement | 1 | (1) This Act may be called the Uttarakhand Ropeways Act, 2014.
(2) It shall extend to the whole of Uttarakhand.
(3) It shall come in to force atonce. |
| Definitions | 2 | In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,
(a) "Applicable Law" means all laws, brought into force and effect by the Government of India or the State Government including rules, regulations and notifications made there under, and judgments, decrees, injunctions, writs and orders of any court of record, as may be in force in the State, from time to time;
(b) "Carrier" means any vehicle or receptacle hung or suspended from, or hauled by a rope and used for the carriage of passengers, animals or goods or for any other purpose in connection with the operations of a ropeway; |

- (c) "Chief Inspector" and "District Inspector" mean the persons appointed under this Act respectively to be the Chief Inspector of Ropeways for the State and the Inspector of Ropeways for a District;
- (d) "Collector" means the chief officer in charge of the revenue administration of a district, and includes any officer specially appointed by the Government to discharge the functions of a Collector for the purpose of this Act;
- (e) "entity" means and includes a company, trust, society, firm, and / or a body corporate or any other organization established in accordance with the applicable laws.
- (f) "Government" or "State Government" means the State Government of Uttarakhand;
- (g) "Licence" means a licence authorising the construction, operation and maintenance of a ropeway under this Act and includes a licence authorising the continuance of the operations and maintenance of a ropeway existing immediately before the commencement of this Act and also any licence substituted for, or amending or extending any such licence;
- (h) "person" shall mean a natural person
- (i) "post" means a post, trestle, standard, strut, stay or other contrivance or part of a contrivance for carrying, suspending or supporting a rope;
- (j) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;
- (k) "promoter" means;
- (i) the State Government;
 - (ii) any agency or department of the State Government;
 - (iii) any person or entity, which may be selected by the State Government as per Applicable Law;
 - (iv) any person or entity which is owning and or operating an existing ropeway on the date of coming in to force of this Act.
- to whom a licence has been granted under section 10 or under sub-section (2) of section 5 or on whom the rights and liabilities conferred and imposed on the promoter by this Act, as to the construction, maintenance and operations of a ropeway, have devolved.
- (l) "public ropeway" means a ropeway used for public carriage of passengers, animals or goods or any of them.
- (m) "PPP" shall mean and refer to public private partnership
- (n) "rate" includes any fare, charge or other payment for the carriage of passengers, animals or goods;
- (o) "rope" includes any cable, wire, rail or way, whether flexible or rigid, used for suspending; carrying or hauling a carrier;

- (p) **"ropeway"** means a ropeway used for public or private carriage of passengers, animals or goods or any of them and includes posts, ropes, carriers, stations, offices, warehouses, workshops, machinery and where the wheels of carriers are made to run on the rails laid on the surface of the earth, such rails as well as any such other works as are used for the purposes of, or in connection with, such ropeway and all land appurtenant thereto;
- (q) **"State"** means the State of Uttarakhand; and
- (r) **"Undertaking"** means all movable and immovable property of the promoter suitable to and used by him for the purposes of a ropeway.

CHAPTER - II

LICENSING AUTHORITY AND ESTABLISHMENT

Licensing Authority

- 3 The Authority having power to grant licences under this Act (hereinafter referred to as the Licensing Authority) shall be the Empowered Committee constituted of the following members:

1	Chief Secretary, Govt. of Uttarakhand	Chairman
2	Principal Secretary/Secretary, PWD	Member
3	Principal Secretary/Secretary, Tourism	Member
4	Managing Director, GMVN	Member
5	Managing Director, KMVN	Member
6	Concerned D.M.	Member
7	Engineer-in-chief of PWD Department	Member
8	Managing Director, UPCL	Member
9	Superintended Engineer - E&M, PWD	Member
10	Any other expert as nominated by State Government	Member
11	Chief Ropeway Inspector	Member Secretary

Appointment of certain Inspectors and subordinate officers and their powers and duties

- 4 (1) The State Government may appoint such person to be the Chief Inspector of Ropeways at the State level and other Inspectors of Ropeways at local level (hereinafter referred to as the "District Inspector") as it deems fit and may fix the fees to be charged to promoters for the performance by them of their duties under this Act and as prescribed.
- (2) The Chief Inspector and the District Inspector shall exercise such powers and perform such functions and duties as may be provided by or under the provisions of the Act. It shall also be the duty of any such Inspector from time to time and at least once a year in the case of the Chief Inspector and once in every six months in the case of the District Inspector to inspect the ropeways and to determine whether they are maintained in a fit condition and worked with due regard to the convenience and safety of the persons using them and of the general public, and consistently with the provisions of this Act:

- (3) The Chief Inspector and the District Inspectors shall, for the purpose of any of the duties which they are authorised or required to perform under this Act, be deemed to be public servants as defined in the Indian Penal Code, 1860 (Central Act 45 of 1860).
- (4) The promoter and his employees and agents shall provide to the Chief Inspector and the District Inspector all reasonable facilities for performing the duties and exercising the powers imposed and conferred upon them by this Act.
- (5) The State Government may also appoint experts, advisors, consultants and other officers with such designations and assign them such powers, duties and functions as may be necessary for carrying out the purposes of this Act.

CHAPTER – III

PROCEDURE AND PRELIMINARY INVESTIGATION

Unauthorized construction, maintenance etc. of Ropeways prohibited

- 5 (1) No ropeway shall be constructed, opened, maintained or operated within the State, except in accordance with the provisions of this Act.
- (2) Notwithstanding anything in sub-section (1), any person and / or entity to whom a ropeway has been sanctioned or by whom a ropeway is being operated, in any part of the State, before the commencement of this Act, whether for public, private or industrial purpose may, on an application being made by him in this behalf in accordance with sub-section (3) hereunder, and after such enquiry as may be considered necessary, be, by licence, authorized to continue the development/ operations of such ropeway, as far as may be, in accordance with the provisions of this Act.
- (3) The application under sub-section (2) shall, within a period of sixty (60) days from the date of commencement of this Act, be made to the Licensing Authority in such form and manner and with such technical or other details regarding the concerned ropeway as may be prescribed.
- (4) Any person or entity aggrieved by the order refusing to grant a licence under sub-section (2) or by any order otherwise made under the sub-section may, within a period of sixty days of the date of the order, prefer an appeal to the State Government which may pass such order as it deems necessary.
- (5) Nothing contained in sub - section (1) shall affect the continuance of the operations of the ropeway referred to in sub-section (2) during the period within which an application under the sub-section (3) may be made or, where such application has been made, up to the date of grant of order or refusal to grant a licence under that sub-section becomes final.

- Application for permission to undertake investigations** 6 Every application by an intending promoter for permission to undertake the necessary preliminary investigations in regard to a proposed ropeway shall be submitted to the Licensing Authority in such format as prescribed.
- Contents of applications** 7 Every application to be made under section 6 shall contain all the information relevant to the proposed ropeway and may include:
- (a) a description of all movable and immovable property of the promoter suitable to and used by him for the purposes of a ropeway and of the route to be followed by the proposed ropeway;
 - (b) a description of the system of construction and management and of the advantages to the community to be expected from such ropeway;
 - (c) an estimate of the cost of construction thereof;
 - (d) a statement of the estimated working expenses and profits expected;
 - (e) a statement of the maximum rates proposed to be charged; and
 - (f) such maps, plans, sections, diagrams and other information as may be prescribed and such other information as the licensing authority may require in order to form an idea of the proposal.
- Sanction to preliminary investigations:** 8 (1) The Licensing Authority or, where the immovable properties not belonging to the intending promoter are involved, the State Government may, subject to the provisions of this Act and of the Land Acquisition Act, 2013, accord sanction to the intending promoter to make such surveys as may be necessary.
- (2) Before according sanction under sub-section (1), the Licensing Authority or, as the case may be, the State Government may also require the intending promoter to submit such detailed estimates, plans, sanctions and specifications and such further information as it may think necessary for the full consideration of the proposal.
- (3) The intending promoter shall not be entitled to claim any compensation from the State Government for any expense incurred under this section in the event of his application being refused.

**CHAPTER - IV
CONSTRUCTION OF ROPEWAYS**

- Publication of proposed licence authorizing construction and contents of such licence**
- 9 (1) The Licensing Authority may, on an application being made by any intending promoter, and after due consideration of the details supplied in accordance with sub-section(2) of section 8, publish in at-least one widely circulated local newspapers and one widely circulated National newspaper in the State, a draft of the proposed licence authorizing the construction by, or on behalf of, such promoter, subject to such restrictions and conditions as the Licensing Authority may think proper, of a ropeway within any area or along any route specified in such licence -
- (a) for the public carriage of passengers;
- (b) for the public carriage of passengers and goods;
- (c) for the public carriage of animals and goods;
- (d) for the public carriage of passengers, animals and goods; or
- (e) for any private or industrial purpose.
- (2) A notice shall be published with the draft licence stating that any objection or suggestion which any person may desire to make with respect to the proposed licence will, if submitted to the Licensing Authority, within a period of thirty days from the date of the notice be received and considered by it.
- (3) The Licensing Authority shall also cause public notice of the intention to grant the licence to be given at conspicuous places within the said area or along the said route, and shall, so far as may be possible cause a like notice to be served on every owner or occupier of land over which such route lies, and shall consider any objection or suggestion, with respect to the proposed licence, which may be received from any person within the period specified in sub-section (2) and take decision thereon.
- (4) The draft of the proposed licence shall contain such details of the proposed ropeway as may be prescribed.
- Grant of licence**
- 10 (1) If, after considering any objections or suggestions, which may have been made in respect to the draft before the expiry of the period specified in sub-section (2) of section 9, the Licensing Authority is of opinion that the application should be granted with or without modifications, or subject to any restrictions or conditions, it shall grant a licence accordingly.
- (2) Every licence authorizing the construction of a ropeway granted under sub-section (1) shall, in such form as may be prescribed, be uploaded on the website of the State Government.
- Cessation of powers given by licence under section 10**
- 11 If a promoter authorised by a licence granted under section 10 to construct a ropeway does not, within the time specified in the licence, make progress according to the schedule of progress approved by the Licensing Authority, the powers given to the promoter by such licence shall, unless, on an application made by the promoter in this behalf, the Licensing Authority, extends the time so specified, cease to be exercised;

Provided that in case the Licencing Authority rejects an application made under this section, it shall do so by an order made in this behalf and for reasons to be recorded in writing.

Revocation of licence and grant of a further licence

- 12 (1) The Licensing Authority may, on the application of the promoter, by order, revoke the licence or amend or extend it by a further licence.
- (2) An application under sub-section (1) for an amendment or extension of the licence shall be made in the same manner and subject to the same conditions as an application for licence.
- (3) If the Licensing Authority grants the application, it shall, by order, revoke the licence or, as the case may be, grant the further licence in the same manner as a licence except that the rights, powers and authorities asked for in the said application shall not be increased, modified or restricted by the further licence without the consent in writing of the promoter.

CHAPTER - V

INSPECTION OF ROPEWAYS

Inspection of a ropeway before opening:

- 13 (1) No ropeway shall be opened for any kind of traffic until the licensing authority has, by order, sanctioned the opening thereof for that purpose. The sanction of the licensing authority under this section shall not be given until the Chief Inspector has reported in writing to the licensing authority -
- (a) that it has made a careful inspection of the ropeway and appurtenances;
- (b) that the moving and fixed dimensions and such other conditions as may be prescribed have been complied with;
- (c) that the ropeway is sufficiently equipped for the traffic for which it is intended;
- (d) that due compliance of the terms and conditions of licence has been made;
- (e) that in his opinion sufficient measures have been taken to prevent and control the pollution caused or likely to be caused by the working of the ropeway; and
- (f) that in his opinion the ropeway is fit for traffic and can be used without danger to those using it, or to the persons employed thereon, or to the general public.
- (2) The provisions of sub-section (1) shall extend to the opening of additional sections of the ropeway, to deviation lines, and to any alteration or reconstruction materially affecting the structural character or any work to which the provisions of sub-section (1) apply or are extended by this sub-section. The said provisions shall also extend to the continuance of the ropeways referred to in sub-section (2) of section 5.

CHAPTER – VI
CONSTRUCTION AND MAINTENANCE OF PUBLIC ROPEWAYS

- | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|--------|---|--------|---|--------|--------------------------------|------------------|---|--------|
| Constitution of District Committee | 14 | <p>A District Level Committee shall be constituted consisting of the following members:</p> <table border="0"> <tr> <td>(a) District Magistrate</td> <td>Chairman</td> </tr> <tr> <td>(b) Superintendent of Police</td> <td>Member</td> </tr> <tr> <td>(c) Divisional Forest Officer (of the concerned division)</td> <td>Member</td> </tr> <tr> <td>(d) Sub-Divisional Magistrate (of the concerned sub-division)</td> <td>Member</td> </tr> <tr> <td>(e) District Ropeway Inspector</td> <td>Member Secretary</td> </tr> <tr> <td>(f) Any other member invited by District Magistrate</td> <td>Member</td> </tr> </table> | (a) District Magistrate | Chairman | (b) Superintendent of Police | Member | (c) Divisional Forest Officer (of the concerned division) | Member | (d) Sub-Divisional Magistrate (of the concerned sub-division) | Member | (e) District Ropeway Inspector | Member Secretary | (f) Any other member invited by District Magistrate | Member |
| (a) District Magistrate | Chairman | | | | | | | | | | | | | |
| (b) Superintendent of Police | Member | | | | | | | | | | | | | |
| (c) Divisional Forest Officer (of the concerned division) | Member | | | | | | | | | | | | | |
| (d) Sub-Divisional Magistrate (of the concerned sub-division) | Member | | | | | | | | | | | | | |
| (e) District Ropeway Inspector | Member Secretary | | | | | | | | | | | | | |
| (f) Any other member invited by District Magistrate | Member | | | | | | | | | | | | | |
| Functions of the District Level Committee | 15 | <p>(1) With regard to the ropeway projects being implemented by the State Government or any of its departments or agency or by any entity/person selected by or on behalf of the State Government or in case a ropeway project is being implemented on PPP basis, the committee shall discharge following functions, or as may be prescribed by the State Government:</p> <ol style="list-style-type: none"> (a) Assistance in Forest land diversion and clearance process; (b) Assistance in Private land acquisition / procurement and land registration; (c) Assistance in procuring clearance from State Pollution Control Board; (d) Assistance in getting supply of electricity & water to the ropeway projects; (e) Assistance in the diversion of transmission lines, electric poles, pipelines, etc. falling along the route alignment; (f) Assistance in resolution of Relocation and Rehabilitation issues, if any, involved in the project; (g) to act as a single window for providing district level clearances to the promoter; and (h) to review the progress of the project in view of terms of licence and report progress to the State Government on bi-monthly basis. | | | | | | | | | | | | |
| Authority of promoter to execute works | 16 | <p>(1) Subject to the provisions of this Act, the rules made there under, and in the case of immovable property not belonging to the promoter, to the provisions of any enactment for the time being in force for the acquisition of land for public purposes and for companies, a promoter may -</p> <ol style="list-style-type: none"> (a) make such survey as it thinks necessary; (b) place and maintain a rope over, along or access any immovable property; | | | | | | | | | | | | |

- (c) suspend and maintain a rope over, along or across any immovable property;
- (d) make such bridges, culverts, drains, embankments and roads, as may be necessary;
- (e) erect and construct such machinery, offices, stations, warehouses and other buildings, works and conveniences as may be necessary; and
- (f) do all other acts necessary for constructing, maintaining, altering, repairing and using a public ropeway;
- (2) Subsequent to the consideration of objections or suggestions, if any, by the Licensing Authority and grant of license under section 10, the promoter may take any action under clause (b) or clause (c), notwithstanding the objection of the owner or occupier of the property affected.
- (3) The Collector shall fix the amount of compensation, or of annual rent, or of both, which should, in his opinion, be paid by the promoter to the owner of the property affected thereby or in the case of immovable property to the owner or occupier thereof, or any person interested therein and the amount to be paid to each.
- (4) The order so made shall also fix the date by which such amount of compensation or of the first annual rent shall be paid.
- Temporary entry upon immovable property adjoining ropeway**
- 17 (1) The promoter, subject to the rules made under this Act, at any time for the purpose of examining or repairing a public ropeway, or of preventing any accident, enter upon any immovable property adjoining such ropeway, and may do all such works as may be necessary for such purposes.
- (2) In the exercise of the powers conferred by sub-section (1), the promoter or his duly authorised employee or agent, as the case may be, shall cause as little damage as possible, and compensation shall be paid by him for any damage so caused; and in the case of any dispute as to the amount of such compensation, or the person to whom it shall be paid, the matter shall be referred to the decision of the Collector.
- Removal of obstructions**
- 18 (1) When any structure standing or lying near a public ropeway, or where any other object which has been placed or has fallen near such ropeway subsequent to the grant of a licence under section 10 in regard to such ropeway, interrupts or interferes with, or is likely to interrupt or interfere with the construction, maintenance or use of such ropeway, the Collector may, subject to the provisions of other Applicable Laws in this regard, on the application of the promoter after affording a reasonable opportunity of being heard to the persons affected, cause the structure or object to be removed or otherwise dealt with as it thinks fit.
- (2) When disposing of an application under, sub-section (1), the Collector shall award to the person interested such compensation as the Collector may recover such amount from the promoter as if it were an arrear of land revenue.

**CHAPTER - VII
WORKING OF ROPEWAYS**

- | | | |
|--|-----------------|--|
| Promoter may fix tariff | 19 | The promoter shall for the purposes of operation of a public ropeway and subject to such maximum rates as may be prescribed by the Licensing Authority, have power, from time to time, to fix the tariff for the carriage of passengers, animals or goods on the ropeway |
| Duty of promoter to operate ropeway without partiality | 20 | No promoter shall make or give any undue or unreasonable preference or advantage to or in favour of any particular person or any particular description of traffic in any respect whatsoever, or subject any particular person or any particular description of traffic to any undue or disadvantage in any respect whatsoever. |
| Reporting of accidents | 21 | <p>When any accident occurs in the course of operations of a ropeway, the promoter shall, with the least possible delay, send notice of the accident to</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) the State Government; (ii) to the Licensing Authority and to District Ropeway Inspector; (iii) to the Collector of the District; (iv) to the police station within the local limits of which the accident has occurred <p>or to such other magistrate and police officer as the State Government may appoint in this behalf and shall also, if the accident is attended with loss of human life or serious physical injury to any human being, send information to the nearest medical facility.</p> |
| Liability to pay compensation on the principles of no fault | 21
A | <p>(1) Where death or permanent disablement of any person or livestock and/ or damage to a property, has resulted from an accident arising out of the use of ropeway, the Promoter or promoters of the ropeway shall jointly and severally, be liable to pay compensation in respect of such death or disablement of any person and or livestock or damage to a property.</p> <p>(2) The amount of compensation for death or permanent disablement of persons or in the case of minor injury or in case of loss of livestock or loss or damage of property, to be paid under sub section (1) shall be such sums as may be prescribed.</p> <p>(3) A claim for compensation under sub-section (1) shall neither be defeated by reason of any neglect or default of the person or livestock, in respect of whose death or permanent disablement, the claim has been made nor shall be quantum of compensation recoverable in respect of such death or permanent disablement be reduced on the basis of the share of such person or livestock in the responsibility for such death or permanent disablement.</p> |

- (4) The right to claim compensation under this section in respect of death or permanent disablement of any person or livestock shall be in addition to the right of any such person to claim compensation in respect thereof under any other law for the time being in force:

Provided, that the amount of compensation payable under any other law, for the death or bodily injury shall be reduced from the amount of compensation payable under this section.

Power to close and reopen ropeways

22

- (1) If after inspecting any ropeway opened to traffic, the District Inspector is of opinion that the ropeway or any specified part thereof cannot be used without danger to the public or is no longer in a fit state for the carriage of any specified class of traffic, it shall state that opinion, together with the grounds thereof to the Licensing Authority and the Licensing Authority after such further enquiry if any, as it may think fit, may thereupon order that, for reasons to be set forth in the order, the ropeway, or the part thereof so specified, be closed to all traffic or to any specified class of traffic:

Provided that in any case of extreme urgency, the District Inspector may order the suspension of the working of the ropeway or any part thereof which it considers necessary pending the order of the Licensing Authority. The District Inspector shall forthwith make a report of his order to the Licensing Authority who will make necessary order within a period of seven days.

- (2) When under sub-section (1), a ropeway or any part thereof has been closed to any traffic, it shall not be reopened to such traffic until it has been inspected and its reopening sanctioned, in the prescribed manner.

CHAPTER - VIII

DISCONTINUANCE OF ROPEWAYS

Cessation of powers of promoter on discontinuance of public ropeway

23

- If, at any time after the opening of a ropeway, it is proved that the promoter has discontinued the operations of such ropeway or of any part thereof, without a reason sufficient, in the opinion of the Licensing Authority to warrant such discontinuance, the Licensing Authority may, if it thinks fit after providing a reasonable opportunity of being heard to the promoter, declare, that the powers of the promoter in respect of such ropeway or part thereof shall, from such dates as it may determine, be at an end; and thereupon the said powers shall cease and determine.

Explanation. - The working of a ropeway shall be deemed to have been discontinued if it has ceased for the period determined in the licence granted under section 10, or if the period has not been so determined, for a period of three months.

Powers of licensing Authority to remove a ropeway on cessation of promoter's powers

- 24 (1) When a declaration has been made by the Licensing Authority under section 23 in respect of any ropeway or of any part thereof, an officer appointed in that behalf by the Licensing Authority may at any time after the expiration of two months from the date determined as aforesaid, remove such ropeway or part thereof, as the case may be, and the promoter shall pay to the officer so appointed such costs of removal as shall be certified by that officer to have been incurred by him.
- (2) If the promoter fails to pay the amount of costs so certified within one month after the delivery to him of the certificate or of a copy thereof, such officer may, either by public auction or by private sale, and with due notice to the promoter but without prejudice to any other remedy which it may have for the recovery of the said amount, sell and dispose-off the materials of the ropeway or part thereof so removed; it may, out of the proceeds of the sale, pay and reimburse to himself the amount of costs certified as aforesaid and the costs of sale, and shall pay over residue (if any) of such proceeds to the promoter.

CHAPTER - IX PURCHASE OF ROPEWAYS

Power of State Government and its departments and agencies to purchase ropeways:

- 25 (1) Where the promoter is the State Government, the State Government may at any time transfer the undertaking or any part thereof to
- (a) its departments and or agencies under terms and conditions approved by, and with the consent of, such departments or agencies; or
- (b) to any other person selected in accordance with the Applicable Law, under such terms and conditions as may be mutually agreed upon between the State Government and the transferee.
- (2) Where the promoter is not the State Government or its agency or department, the State Government may in its sole discretion;
- (a) Within such limits of time and upon such terms and conditions as specified in this behalf in the license, or
- (b) Within two months after the publication of a notification under section 23 or within six-months after the publication of a notification under section 27,
- By a notice in writing, require the promoter to sell to the State Government or to any of its department or agency the ropeway or a part thereof, and thereupon the promoter shall sell the same upon the terms specified in the license, or if the terms were not specified in the license, then upon such terms as may be prescribed in this regard.
- (3) A requisition shall not be made under sub-section (2) requiring the promoter to sell to any department or agency of the State Government, unless such requisition has been approved by the concerned department or agency.
- (4) When a sale has been made under this section, all the rights, powers and authorities of the promoter in respect of the undertaking or part thereof sold, or, where a notification has

been published under section 23 or section 27, all the rights, powers and authorities of the promoter previous to the publication of the notification in respect of the undertaking or part thereof sold, shall be transferred to the authorities to whom the undertaking or part has been sold, and shall vest in, and may be exercised by, that authority in the same manner as if the ropeway had been constructed by it under a license granted under this Act.

(5) Subject to, and in accordance with the preceding provisions of this section, two or more government departments and or agencies may jointly purchase an undertaking or so much thereof as is within their jurisdiction.

(6) Where a purchase has been effected under sub-section (1) or sub-section (5),-

(a) the undertaking shall vest in the purchaser free from any debts, mortgages or similar obligations of the promoter or attaching to the undertaking:

(b) save as aforesaid, the licence granted under section 10 shall remain in full force and the purchaser shall be deemed to be the promoter:

Provided that where the State Government elects to purchase, the licence granted under section 10 shall, after purchase, in so far as the State Government is concerned, cease to have any further operation.

(7) Not less than two years' notice in writing of any election to purchase under clause (a) or clause (b) of sub-section (2) of this section shall be served upon the promoter by the State Government or the local authority, as the case may be.

(8) Notwithstanding anything hereinbefore contained, a department /agency may, with the previous sanction of the State Government, waive its option to purchase and enter into an agreement with the promoter for the working by him of the undertaking until the expiration of the next subsequent period mentioned in the order or referred to in clause (b) of sub-section (2), upon such terms and conditions as may be stated in the agreement.

Power of promoter to sell when option to purchase not exercised and licence revoked by consent

26 Where, on the expiration of any of the periods referred to in section 24, neither the State Government nor any of its department or agency purchases the undertaking, and the licence granted under section 10 is, on the application or with the consent of the promoter, revoked, the promoter shall have the option of disposing of all lands, buildings, works, materials, plants and apparatus belonging to the undertaking in such manner as it may think fit.

Expropriation by the State Government:

27 (1) If, at any time, after the opening of a ropeway, the State Government is of the opinion that an existing ropeway is required or needed by the Government in the national security interest or in the interest of the public, the State Government may, after considering any statement which the promoter may

desire to make, and after such enquiry as it deems necessary, declare, subject to such terms and conditions as the State Government may prescribe in this regard, that the powers of the promoter in respect of such ropeway, shall, at the expiration of six months from the date of such declaration, be at an end and thereupon all the rights, powers and authorities of the promoter in respect of the said ropeway shall vest absolutely in the State Government, free from all debts, encumbrances or similar obligations.

- (2) As soon as may be, after a notification under sub-section (1), has been made, the State Government shall by a notice in writing, require the promoter to transfer and handover the undertaking including all land, building, equipments and assets, clearances and permits and documents pertaining thereto, forming part of the ropeway subject matter of the notification under sub-section (1), to the State Government;

Provided that the notice set forth in sub-section (2) shall set forth the modalities for the handover of the ropeway and the amount of compensation payable to the promoter in lieu of the takeover of the ropeway by the State Government, which shall be an amount equivalent to the cost of procurement of all land, if owned by the promoter, and the depreciated value of the buildings, plant and machinery of the promoter, suitable to, and used by him for the purposes of the undertaking and taken over by the Government and which compensation shall in all events be paid to the promoter by the State Government prior to the expiration of the period set forth in sub-section (1) of this Section 27:

CHAPTER – X

INABILITY OR INSOLVENCY OF PROMOTER

Proceedings in case of inability or insolvency of promoter

- 28 (1) If, at any time, after the opening of a ropeway, it appears to the State Government that the promoter is insolvent or is unable to maintain the ropeway or operate the same with advantage to the public, or at all, the State Government may, after considering any statement which the promoter may desire to make, and after such enquiry as it deems necessary, declare that the powers of the promoter in respect of such ropeway, shall, at the expiration of six months from the date of such declaration, be at an end, and thereupon the said powers shall, at the expiration of that period, cease and determine.
- (2) At any time after the expiration of the said six months, an officer appointed by the State Government in that behalf, may remove the ropeway in the same manner and subject to the same provisions as to the payment of costs and to the same remedy for the recovery thereof in every respect as in cases of removal under section 24.

**CHAPTER - XI
REVIEW**

- Review by the Licensing Authority** **29** (1) All orders made by the Licensing Authority under this Act except those which are made by the Collector under the provisions of the Land Acquisition Act, 1894 (Central Act No. 1 of 1894), shall be reviewable within thirty days from the date of order and the review shall lie to the Licensing Authority.
- (2) Any review preferred under sub-section (1) shall normally be disposed of by the Licensing Authority within three months from the date of receipt of the review.
- (3) The State Government may, of its own motion, call for and examine the records of any proceedings for the purpose of satisfying itself as to the legality or propriety of any order made under this Act by the Licensing Authority not being an award or order made or passed by the Collector under the provisions of the Land Acquisition Act, 2013 and if in any case it shall appear to the State Government that any such order should be modified, annulled or revised or remitted for reconsideration, the State Government may, after giving the party to be affected thereby a reasonable opportunity of being heard, pass such order thereon as it may deem fit.

**CHAPTER - XII
SUPPLEMENTARY PROVISIONS**

- Returns** **30** A promoter shall, in respect of the ropeway, submit to the State Government, returns of capital and revenue expenditure, receipts and traffic, at such intervals, and in such form, as may be prescribed.
- Protection of roads, railways, tramways, and waterways** **31** No promoter shall, in the course of the construction, repair, working or management of a ropeway, cause any permanent injury to any public road, railway, tramway or waterway, or obstruct or interfere with, otherwise than temporarily as may be necessary, the traffic on any public road, railway, tramway or waterway.
- Acquisition of land by the State Government** **32** (1) The State Government may, suo motto, acquire land for the purposes of this Act, in accordance with the provisions of the Land Acquisition Act, 2013, and may if it thinks fit, transfer the land owned, acquired or controlled by it to any promoter, for the purposes of this Act.
- (2) The State Government may, if it thinks fit, subject to the provisions of the Act, on the application of any promoter desirous of obtaining any land for the purpose of constructing, extending, working or managing a ropeway, acquire on his behalf such land under the provisions of the Land Acquisition Act, 2013, whether the said promoter is or is not a company as defined in the Land Acquisition Act.

Notification of claims to refund of overcharges and compensation for losses

- 33 No person shall be entitled to a refund of an overcharge in respect of animals or goods carried by a ropeway or to compensation for the loss, destruction or deterioration of animals or goods delivered to be so carried, unless his claim to the refund or compensation has been preferred in writing by him or on his behalf to the promoter within six months from the date of the delivery of the animals or goods for carriage by the ropeway.

CHAPTER – XIII

DELEGATION OF POWERS AND MAKING OF RULES BY STATE GOVERNMENT

Power of State Government to make Rules

- 34 (1) The State Government may, after previous publication, make rules to carry out the purpose of this Act.
- (2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may prescribe-
- (a) the power and duties of the Chief Inspector and the District Inspector appointed under section 4;
 - (b) the accidents of which notice shall be given to the Licensing Authority and to the District Inspector
 - (c) the maximum rates for passengers, animals or various classes of goods on the ropeway, which a promoter may fix under section 19.
 - (d) the duties of the promoter, promoter's employees and of police officers, and magistrate on the occurrence of an accident;
 - (e) the standard dimensions and specifications to which the ropeway is to conform;
 - (f) the manner in which notice under this Act shall be served;
 - (g) the safe and efficient working of ropeways;
 - (h) the conditions under which, and the manner in which, the powers conferred on promoters by section 16 and section 17 may be exercised;
 - (i) the procedure for the disposal of application under sub-section (2) of section 22 to reopen any ropeway or part thereof and the conditions under which such ropeway may be reopened;
 - (j) the procedure for filing, hearing and disposing of appeals under this Act;
 - (k) the fees to be charged to promoters and other persons in respect of licenses, application, enquiries, inspection, and services rendered under this Act;
 - (l) the procedure for making, hearing and disposing of applications under this Act
 - (m) provisions for first-aid and other amenities; and
 - (n) any other matter which is to be or may be prescribed under this Act.
- (3) All rules made under this section shall be published in the Official Gazette.
- (4) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before the House of the State Legislature while it is in session for a total period of not less than fourteen days which may be comprised in one section or in two or more

successive sessions and if before the expiry of the session in which it is so laid or the sessions aforesaid, the House makes any modification in the rule or decides that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

Power of State Government to award projects:

- 35** The State Government may, if it deems fit, enter into an agreement with an entity/ person for implementing and operating a ropeway project within the State on a PPP basis, provided that, the process for selection of such an entity/ person shall be such as stipulated under the Applicable Law.

CHAPTER – XIV BYE-LAWS

Power to make bye-laws:

- 36** (1) The Licensing Authority shall, subject to the provisions of sub-section (3), make bye-laws consistent with this Act;
- (a) for regulating the speed at which carriers are to be moved or propelled;
 - (b) for declaring what shall be deemed to be dangerous or offensive goods and for regulating the carriage of such goods;
 - (c) for regulating the maximum passengers and animals and the maximum weight of goods to be carried in each carrier;
 - (d) for regulating the use of steam power or any other mechanical power or electrical power on the ropeway;
 - (e) for regulating the conduct of the promoter's servants;
 - (f) for regulating the qualifications of the staff employed for running and maintaining the ropeway;
 - (g) for regulating the terms and conditions on which the promoter will warehouse or retain goods at any station on behalf of the consignee or owner of such goods; and
 - (h) generally for regulating the travelling upon, and the use, working and management of the ropeway.
- (2) Such bye-laws may provide that any person who contravenes the provisions of any of them shall be liable to such fine which may extend to any sum not exceeding one hundred rupees and that, in the case of a breach of a bye-law made under clause (c) of sub-section (1), the promoter's servant responsible for the same shall forfeit a sum not exceeding one month's pay, which sum may be deducted by the promoter from his pay.
- (3) A bye-law made under this section shall not take effect until it has been approved by the State Government and published in the Official Gazette: Provided that no such bye-law shall be so confirmed until it has been previously published by the promoter in such manner as may be prescribed.

**CHAPTER - XV
OFFENCES AND PENALTIES**

Failure of promoter to comply with Act

- 37** If a promoter:
- (a) constructs or opens or operates or maintains a ropeway otherwise, than in accordance with the terms of a licence granted under section 10 or under sub-section (2) of section 5; or
 - (b) contravenes any of the provisions of this Act or the provisions of any rule made under section 35; or
 - (c) fails to pay within a reasonable time any compensation awarded by a Collector or by the State Government under the provisions of this Act;

it shall, without prejudice to the enforcement of specific performance of the requirements of this Act or of any other remedy which may be obtained against him, be punishable with fine which may extend to ten thousand rupees and in case of a continuing offence to a further fine which may extend to one thousand rupees for every day after the date of the first conviction during which the offender is proved to have persisted in the offence.

Unlawfully obstructing promoter's employees in discharge of his duty

- 38** If a person, without lawful excuse, the burden of proving which shall lie upon him, wilfully obstructs or impedes any officer or employee of a promoter in the discharge of his duty, it shall be punishable with fine which may extend to two hundred rupees.

Unlawfully interfering with ropeways

- 39** If any person, without lawful excuse, the burden of proving which shall lie upon him, wilfully does any of the following things, namely:-
- (a) interferes with, removes or alters any part of a ropeway or of the works connected therewith;
 - (b) does anything in such manner as to obstruct any carrier travelling on a ropeway;
 - (c) attempts to do or abets within the meaning of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act 45 of 1860) the doing of anything mentioned in clause (a) or clause (b);

it shall, without prejudice to any other remedy which may be obtained against him in a civil court, be punishable with fine which may extend to four hundred rupees.

Punishments for acts or attempts tending to endanger safety of persons travelling or being upon ropeways.

- 40** (1) If any person does anything mentioned in clause (a), clause (b) or clause (c) of section 39 or does, attempts to do, or abets, within the meaning of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act 45 of 1860), the doing of any other act or thing in relation to a ropeway with intent, or with knowledge that it is likely to endanger the safety of any person travelling or being upon the ropeway, it shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to fourteen years.

(2) If the promoter does anything or omits to do anything, mentioned in section 37, in relation to an ropeway with intent or with knowledge that such act or omission is likely to endanger the safety of any person travelling or being upon the ropeway, it shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than one month but may extend to five years.

Arrest for offence against certain sections and procedure thereupon.-

41 (1) If any person commits any offence under section 38 or section 39 which obstructs the working of a ropeway or commits any offence punishable with imprisonment under section 40, it may be arrested without warrant or other written authority by any servant of the promoter or by any police officer, or by other persons whom such servant or officer may call to his aid.

(2) A person so arrested shall, with the least possible delay, be taken before a Magistrate having authority to try him or to commit him for trial.

By Order,

JAÍ DEO SINGH,
Principal Secretary.